संख्या-09/2017/आर-5800/26-3-2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-13961/2016 श्री सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट, बरेली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-11.04.2016 एवं अवमानना याचिका संख्या-4513/2016 श्री सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट, बरेली बनाम श्री आई0पी0पाण्डेय, तत्कालीन निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-4573/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-09.12.2016 एवं पत्रांक-4709-15/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-19.12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-11.04.2016 एवं अवमानना याचिका में पारित आदेश दिनांक-16.11.2016 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था में वर्ष 2014-15 में अध्ययन प्राप्त अनुसूचित जाति छात्र-छात्रों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि कुल रूपये-209.5088 (रूपये दो करोड़ नौ लाख पचास हजार आठ सौ अस्सी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-11.04.2016/16.11.2016 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था का प्रत्यावेदन स्वमुखरित अपने स्तर से निस्तारित कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-09/2017/आर-5800(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बरेली।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in